शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र कार्यक्रम

SCHEME OF AREA INTENSIVE PROGRAMME FOR EDUCATIONALLY BACKWARD MINORITIES

1993

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)
आयोजन, अनुश्रवण तथा सांख्यिकी प्रभाग
अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अल्प संख्यक सैल
भारत सरकार
नई दिल्ली

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF EDUCATION)
PLANNING, MONITORING AND STATISTICS DIVISION
SC, ST AND MINORITIES CELL
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI

371.077
IND-T

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration,
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-9876
Date 10.7.98

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र कार्यक्रम

SCHEME OF AREA INTENSIVE PROGRAMME FOR EDUCATIONALLY BACKWARD MINORITIES

1993

NIEPA DC
D09876

Y & DOCUMENTATION CENTRE
al Institute of Educational
g and Administration.
Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
No

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)
आयोजन, अनुश्रवण तथा सांख्यिकी प्रभाग
अनु० जाति, अनु० जनजाति तथा अल्प संख्यक सैल
भारत सरकार
नई दिल्ली

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF EDUCATION)
PLANNING, MONITORING AND STATISTICS DIVISION
SC, ST AND MINORITIES CELL
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र कार्यक्रम

भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था, यह उल्लेख किया गया है कि इस नीति में असमानताओं को दूर करने पर और उन लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान देकर जिन्हें अब तक समानता से वंचित रखा गया है, शैक्षिक अवसरों को समान रूप से देने पर ध्यान दिया जाएगा। जहां तक अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संबंध है, इस नीति से यह उल्लेख किया गया है कि कुछ अल्पसंख्यक वर्ग शैक्षिक रूप से वंचित हैं या पिछड़े हुए हैं। समानता और सामाजिक न्याय के हितों में इन वर्गों की शिक्षा पर और अधिक बल दिया जाएगा।

2. 1990 में शिक्षा विभाग द्वारा गठित अल्पसंख्यक शिक्षा दल ने भी स्कूल शिक्षा में क्षेत्रगत दृष्टिकोण का सुझाव दिया है। इसकी अधिकार प्राप्त समिति द्वारा भी सिफारिश की गई जिसे दल की रिपोर्ट पर निर्णय लेने के लिए गठित किया गया था। पुन: इसका केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 5-6 मई 1992 को हुई अपनी बैठक में और नई कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए गठित अल्पसंख्यक शिक्षा सम्बन्धी कार्य बल ने भी अनुसमर्थन किया है।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (रा०शि०नी०) में अल्पसंख्यकों की शिक्षा की 1992 में पुन: दोहराया गया। तथापि, कार्रवाई योजना 1992 को, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा इसके पश्चात् शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रारम्भ करने हेतु, पर्याप्त रूप से आकार में बड़ा कर दिया गया है। इसमें निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल किए गए हैं :—

(I) स्कूल और प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्रों में, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों पर उस खण्ड/तहसील को एक इकाई मानकर एक क्षेत्रगत दृष्टिकोण से ध्यान दिया जाना है जहां विशेष रूप से तैयार किए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाएगा ताकि अधिक तेज प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

AREA INTENSIVE PROGRAMME FOR EDUCATIONALLY BACKWARD MINORITIES

INTRODUCTION :

The National Policy on Education, NPE 1986, which has been modified in 1992 states that the Policy will lay special emphasis on the removal of disparities and to equalise educational opportunities by attending to the specific needs of those who have been denied equality so far. Regarding education of minorities, it states that "some minority groups are educationally deprived or backward. Greater attention will be paid to the education of these groups in the interests of equality and social justice".

2. The Group on Minorities Education set up by the Department of Education in 1990 has also suggested area approach in school education. This has been recommended by the Empowered Committee also which was set up to take decisions on the report of the Group on Minorities. Again, this has been endorsed by the Central Advisory Board of Education in its meeting held on 5-6 May, 1992, and the Task Force on Minorities Education constituted for formulating the new Programme of Action.

3. The National Policy on Education 1986 (NPE-86) reiterated in 1992 on Minorities Education. The Programme of Action 1992, however, has been substantially enlarged to take up various schemes for the upliftment of educationally backward minorities during the Eighth Five Plan and thereafter. It enlists the following programmes :

(i) In school education and adult education sectors, areas of concentration of educationally backward minorities to be taken care of by an Area Approach with Block/Tehsil as a unit where specially designed programmes would be implemented to ensure accelerated progress.

(II) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के विकास के लिए रणनीतियों के कार्यान्वयन करने हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में उपयुक्त केन्द्र द्वारा प्रायोजित/केन्द्रीय योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।

(III) सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों और इलाकों/तहसीलों की एक संशोधित सूची कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की जानी है। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए योजनाएं इस प्रकार के जिलों और तहसीलों/ब्लाकों के लिए तैयार की जानी चाहिए।

4. इन अनुबंधों के अनुसरण में, एक क्षेत्रीय गहन दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए एक केन्द्रीय योजना तैयार की गई है।

उद्देश्य

योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित पैराग्राफ में दी गई हैं :—

5. योजना का मुख्य उद्देश्य, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए उन अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बुनियादी शैक्षिक अवस्थापना और सुविधाएं उपलब्ध कराना है जहां प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

लक्षित दल

6. कार्रवाई योजना—1992 में यह उल्लिखित है कि:—अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा डा० गोपाल सिंह की अध्यक्षता में नियुक्त उच्च शक्ति प्राप्त पैनल ने मुसलमानों और नव-बौद्धों को राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक तौर पर पिछड़ों के रूप में पता लगाया है। तत्पश्चात्, सरकार ने नव-बौद्धों को वे सभी लाभ दे दिए जो अनुसूचित जातियों को उपलब्ध हैं। अत: राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों में केवल मुस्लिम समुदाय ही शामिल है। तथापि, राज्य सरकारें और संघ शासित प्रशासन अन्य ग्रुपों का भी पता लगा सकते हैं जो राज्य/संघ शासित स्तर पर शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं तथा इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुरूप उनके उत्थान के लिए उपयुक्त उपाय कर सकते हैं।

7. कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों तथा ब्लाकों/तहसीलों का पता लगाएगा। राज्य सरकारें और संघ शासित प्रशासन स्थानीय स्थितियों पर आधारित एक सूची इसके साथ लगा सकते हैं।

(ii) Suitable Centrally Sponsored/Central Schemes should be formulated in the 8th Five Year Plan for implementing the strategies for the development of educationally backward minorities.

(iii) A revised list of minority concentration districts and blocks/tehsils should be prepared by the Ministry of Welfare taking into accunt all relevant facts. Schemes for the development of the Minorities should be designed for such districts and tehsils/blocks.

4. In pursuance of these stipulations, a central scheme for ensuring an area intensive approach has been prepared.

OBJECTIVE :

The salient features of the scheme are given in the following paragraph:

5. The basic objective of the scheme is to provide basic educational infra-structure and facilities in areas of concentration of educationally backward minorities which do not have adequate provision for elementary and secondary education.

TARGET GROUP :

6. Programme of Action-1992 states that the High Power Panel on minorities, SC/ST and other weaker sections, appointed by Ministry of Home Affairs and headed by Dr. Gopal Singh has identified Muslims and Neo-Budhists as educationally backward at national level. Subsequently, the Government have extended to Neo-Budhists all the benefits which are available to Scheduled Castes. Thus, under the umbrella of educationally backward minorities only the muslim community is covered at the national level. However, the State Governments and Union Territory Administrations may identify other groups which are educationally backward at the State/UT level and take suitable measures for their upliftment on the same lines.

7. The Ministry of Welfare will identify the districts and blocks/tehsils of concentration of educationally backward minorities at the national level. The State Goverments and Union Territory Administrations could supplement this with a list based on local conditions.

कार्यान्वयन का ब्यौरा

8. यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर वित्त पोषित की जाएगी और इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया जाएगा। सामुदायिक विकास खण्ड अथवा कोई तहसील शैक्षिक विकास के लिए, की इकाई होगी। हालांकि ये कार्यक्रम सभी के लिए हैं फिर भी इन्हें इस प्रकार से आयोजित किया जाए कि लोगों के उन वर्गों को जो शैक्षिक और विकासात्मक अवसरों से वंचित रह गए हैं को शामिल करने में प्राथमिकता दी जा सके। जिन कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी उनमें ये शामिल होगी :—

(I) नए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र जहां ऐसी आवश्यकता महसूस की जाती है, और स्कूल मानचित्रण अभ्यास के आधार पर स्थापित करना।

(II) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों में शैक्षिक अवस्थापना और भौतिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना।

(III) लड़कियों के लिए बहुमुखी आवासीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलना जहां शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को विज्ञान वाणिज्य मानविकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं।

9. आई०आर०डी०पी०, जवाहर रोज़गार योजना इत्यादि के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली सहायता सहित, सब्य शैक्षिक विकास कार्यक्रम को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त वित्तीय सहायता।

10. इस प्रयोजनार्थ, संघ शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक सहायता अनुदान समिति (स०अ०स०) गठित की जाएगी। इसमें, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधि और शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारी होंगे। सहायता अनुदान समिति, राज्य सरकार और संघ शासित सरकारों के प्रस्ताव की जांच और अनुमोदन करेगी। उन स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्ताव जो उपर्युक्त क्षेत्रों में कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, विचार किया जाएगा।

DETAILS OF IMPLEMENTATION :

8. The scheme will be funded by the Department of Education, Ministry of Human Resource Development, on 100% basis and will be implemented by State Governments/UT Administrations and voluntary organisations. The Community Development Block or a Tehsil will be the unit for educational development. The programmes though open to all, are to be organised such that the sections of people who have remained deprived of educational and developmental opportunities get priority coverages. The activities for which financial assistance will be made available would include :

(i) Establishment of new primary/upper primary schools, non-formal education centres where such a need is felt and viarility established on the basis of a school mapping exercise.

(ii) Strengthening of educational infra-structure and physical facilities in the primary/upper primary schools.

(iii) Opening of multi-stream residential Higher Secondary Schools for girls where science, commerce, humanities and vocational courses are taught, to the Educational Backward Minorities.

9. Financial assistance under this programme would be in addition to the educational development programme of the State including those that may be taken up under the IRDP, Jawahar Rojgaar Yojna etc.

10. A Grants-in-Aid (GIAC) Committee under the chairmanship of Union Education Secretary would be constituted for the purpose. It shall have representatives from Planning Commission, Finance Ministry, Ministry of Welfare, Ministry of Rural Development and State Goverments concerned and officers of the Department of Education, Ministry of Human Resource Development. The GIAC will examine and approve the proposals of the State Government and UT Governments. Proposals from voluntary organisations who wish to take up programmes in the above mentioned areas would also be considered.

वित्तीय प्राक्कलन

11. शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के केन्द्रीकरण ब्लाकों का अभी पता नहीं लगाया गया है। जैसे कि पहले बताया गया है कि पता लगाए जाने वाले कार्य, रजिस्ट्रार सामान्य कार्यालय के साथ परामर्श करके, कल्याण मंत्रालय द्वारा किये जाएंगे। इस समय, ऐसे खण्डों की सही संख्या ज्ञात नहीं है। कार्रवाई योजना, 1986 में अल्पसंख्यक सघनता वाले 40 जिलों का पता लगाया है जो जिले की शाखा के कारण अब 41 हो गए हैं। विभिन्न रिपोर्टों और मंचों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए मूल बुनियादी यूनिट, ब्लाक होना चाहिए न कि जिला। अत: इस कार्यक्रम के प्रशासन के लिए ब्लाक/तहसील पर बल दिया जाता है। प्रत्येक ब्लाक क्षेत्रों के लिए एक जिला पहचान परियोजना तैयार की जाएगी और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएगी एवं कार्यान्वयन हेतु राज्य/संघ शासित सरकारों को दी जाएगी।

इस योजना के निष्पादन की समीक्षा, इसके संचालन के तीन वर्ष बाद की जाएगी।

12. इस योजना के लिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 16.27 करोड़ रु० की राशि प्रस्तावित की गई है। उदाहरण के लिए गहन क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 ब्लाक शुरू करते हुए, प्रत्येक ब्लाक के लिए प्रति वर्ष 6.5 लाख रु० का औसतन प्रावधान किया जा सकता है। तथापि, इसकी अधिकतम या कम से कम सीमा नहीं है।

विस्तार एवं योजना की वित्तीय पद्धति

13. यह एक केन्द्रीय योजना होगी जिसमें राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों और स्वैच्छिक संगठनों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सहायता, उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित कार्यकलापों के लिए दी जाएगी।

14. वित्तीय सहायता, वार्षिक आधार पर प्रदान की जाएगी। सहायता प्राप्त करने वाले राज्यों/स्वैच्छिक एजेंसियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित, निर्धारित प्रपत्र में व्यय के लेखा परीक्षा ब्यौरे भेजने होंगे। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु, राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन, ब्लाकों में स्कूल मानचित्रण सहित शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक क्षेत्रों वाले ब्लाकों का सर्वेक्षण करेंगे और पर्याप्त शैक्षिक अवस्थापना में विद्यमान अन्तरालों का पता लगाएंगे। सर्वेक्षणों के आधार पर, राज्य/संघ शासित प्रदेशों को उपर्युक्त पैरा 8 में उल्लिखित मदों के लिए, प्रस्ताव भेजने अनिवार्य होंगे। राज्य सरकारों/स्वैच्छिक एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, सहायता अनुदान समिति गुणावगुण पर विचार करेगी और तदनुसार अनुमोदन करेगी।

FINANCIAL ESTIMATE :

11. The blocks of concentration of Educationally Backward Minorities have not been identified so far. As stated earlier the identification task will be done by Ministry of Welfare in consultation with Registrar General's office. At present, the exact number of such blocks is not known. POA-1986 had identified 40 districts of minority concentration which because of bifurcation of the district has now become 41. However, it has been pointed out in various reports and fora that the basic unit for developmental programmes should be the block and not the district. Thus the emphasis is on the block/tehsil for the administration of this programme. For each of the block areas a distinct identifiable project will be prepared and approved in the Government of India and given to the State/ UT Governments for implementation.

The performance of the scheme will be reviewed after three years of its operation.

12. An amount of Rs. 16.27 crores is proposed for the scheme under the Eighth Five Year Plan. Taking up 50 blocks, for example under the Area Intensive Programme, an average provision of Rs. 6.5 lakhs could be made per block annum. However, there is no minimum or maximum limit.

COVERAGE & FINANCIAL PATTERN OF THE SCHEME :

13. This will be a central scheme with 100% assistance to State Governments/UT Administrations and Voluntary organisations. Assistance would be given for the activities mentioned in para 8 above.

14. The financial assistance will be on an annual basis. The States/Voluntary Agencies receiving the assistance would be required to furnish audited details of expenditure made in the prescribed proforma duly attested by the competent authority. For implementing the scheme, the State Governments and UT Administrations will conduct surveys including school mapping in the blocks of concentration of Educationally Backward Minorities and identify the gaps in existence of adequate educational infrastructure. On the basis of the surveys, the States/ UTs would be required to submit proposals for items mentioned in para 8 above. On receipt of proposals from the State Governments/ Voluntary agencies, the GIAC will consider on merits and accord approval.

पात्रता की शर्तें

1. वे, स्वैच्छिक संगठन/सोसाइटियां/न्यास जो केन्द्र या राज्य सरकार अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, या वक्फ बोर्ड, इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।

2. केवल उन स्वैच्छिक एजेंसियों पर, जो तीन वर्षों से विद्यमान हैं, इस योजना के अन्तर्गत, सहायता के लिए विचार किया जाएगा।

3. ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को :

— संघ के अनुच्छेदों का उचित विधान रखना चाहिए।

— ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को उचित ढंग से गठित प्रबंध निकाय रखना चाहिए जिसकी शक्तियां और कर्तव्य संविधान में सही ढंग से उल्लिखित होनी चाहिए।

अपने कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, सुपिज्ञ व्यक्तियों की स्वैच्छिक आधार पर सहायिता प्राप्त करने की स्थिति में होना चाहिए;

किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिए न चलाएं;

भाषा अथवा लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के खिलाफ भेदभाव न करें;

किसी राजनीतिक पार्टी के स्वार्थों को बढ़ावा देने के लिए कार्य न करें;

किसी भी रूप में साम्प्रदायिक असामंजस्य को प्रेरित न करें।

कार्यान्वयन और अनुश्रवण :

यह योजना राज्य सरकारों द्वारा एक केन्द्रीय योजना के रूप में कार्यान्वित की जाएगी जिसके अधीन इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। निर्धारित आवेदन प्रपत्रों में वित्तीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर, नियम के तौर पर, राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाएगा। इन आवेदनों पर, राज्य स्तर की सहायता अनुदान समितियों द्वारा गुण व दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

ELIGIBILITY CONDITIONS :

1. Voluntary organisations/societies/trusts which are registered under central or state Govt. Acts or Wakf Boards shall be eligible to apply for assistance under the scheme.

2. Only those voluntary agencies which have been in existence for three years would be considered for assistance under this scheme.

3. Such voluntary organisations should :

— have a proper constitution of Articles of Association;

— have a properly constituted managing body with its powers and duties clearly defined in the constitution;

— be in a position to secure the involvement, on voluntary basis, of knowledgeable persons for furtherance of their programmes;

— not be run for the profit of any individual or a body of individuals;

— not discriminate against any person or group of persons on the ground of language or sex etc.

— not function for the furtherance of the interests of any political party;

— not in any manner incite communal disharmony.

IMPLEMENTATION AND MONITORING :

The scheme will be implemented by the State Governments as a Central Scheme under which 100% financial assistance will be provided to State Governments for implementation of this scheme. All requests for financial assistance shall, as a rule, be entertained by the State Governments on the prescribed application forms. These will be considered on merits by the State level grant-in-aid committees.

सहायता प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संगठनों, लाभग्राही छात्रों की कुल संख्या और मदरसों द्वारा प्राप्त की गई धनराशि और उसकी उपयोगिता के बारे में अनुश्रवण रिपोर्ट, शिक्षा विभाग, भारत सरकार को वार्षिक आधार पर प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस योजना के संचालन के तीन वर्ष पूरे होने के उपरान्त, इस योजना के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध करने वाले संगठनों को निर्धारित आवेदन पत्र-प्रपत्र (अनुबन्ध-1) में आवेदन करना होगा।

आवेदन पत्र राज्य/संघ शासित प्रदेश के शिक्षा सचिव को सम्बोधित किए जाएंगे जो राज्य/संघ शासित प्रदेश में सहायता अनुदान समिति के अध्यक्ष होंगे।

शिक्षा सचिव, यदि चाहे तो वे अपने स्थान पर किसी अधिकारी को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामित भी कर सकते हैं।

समिति के अन्य सदस्यों में निम्न शामिल होंगे :—

— शिक्षा विभाग, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि।

— मदरसा शिक्षा प्रबंध/बोर्ड के एक/दो प्रतिनिधि।

— एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद्।

इन बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, उन सम्बन्धित विभागों/संस्थानों/संगठनों द्वारा वहन किया जाएगा, जो अपने प्रतिनिधियों को सहायता अनुदान समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए नामित करेंगे।

अनुदान केवल उन्हीं संगठनों/संस्थानों को अनुमत्य होंगे, जो पिछले एक वर्ष में केन्द्र/राज्य सरकारों से प्राप्त सभी सहायता-अनुदानों का विधिवत प्रमाणित-अद्यतन लेखा-विवरण भेजेंगे।

संगठन के क्रियाकलापों के लेखे/रिकार्ड, मांग पर, केन्द्र/राज्य सरकार को निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाए जाएंगे।

एन० बी० 1. जब भी जरूरी होगा, योजना में संशोधन किया जाएगा।

2. चूंकि योजना का कार्यान्वयन पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा किसी संगठन/व्यक्ति द्वारा स्थायी लाभग्राही के रूप में किसी दावे को विचार के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Monitoring report regarding the voluntary organisations receiving assistance, total number of beneficiary students and the amount received and utilised by the madrasas. shall be furnished to the Department of Education, Govt. of India on annual basis. The performance of the scheme may be reviewed after completion of three years of its operation.

Organisations requesting for financial assistance will apply on the prescribed *APPLICATION FORM (ANNEXURE-I).*

The application will be addressed to the Education Secretary in the State/UT, who will be the Chairperson of Grant-in-Aid committee in the State/UT.

Education Secretary can also nominate any officer to act as Chairperson in his place if he/she so desires.

Other members of the committee will include :

- One representative from the Department of Education. Government of India
- One/two representatives from Madrasa Education Management/Board.
- One eminent educationist.
- TA/DA to attend these meetings will be borne by the concerned Deptt./Institutions/Organisations nominating their representative to attend the Grant-in-Aid Committee meetings.

The grant will be admissible to only those organisations/ institutions who will submit the updated statement of accounts for all the grant-in-aids received by them for central/state governments for the preceding one year duly certified.

The accounts/records of activities of the organisation shall be available on demand for inspection to Central/State Government.

N.B. 1. The scheme may be revised as and when necessary.

2. No claim will be entertained from any organisation/ individual for consideration as a permanent beneficiary since the scheme will be implemented on purely voluntary basis.

अनुबन्ध—I

(दो प्रतियां भिजनी होंगी)

(शैक्षिक तौर पर पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम)

आवेदन पत्र

भाग—1

(आवेदक द्वारा भरे जाने के लिए)

1. वित्तीय सहायता मांगने वाले संगठन/सोसाइटी का नाम और पता ——————
2. उद्देश्य एवं क्रियाकलाप (संगठन/सोसाइटी का संक्षिप्त विवरण दें) ——————
3. क्या केन्द्रीय/राज्य वक्फ अधिनियमों के अधीन पंजीकृत है ? यदि हां, पंजीकरण नम्बर (पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जाए) ——————
4. क्या संस्थान, आधुनिक विषयों के शिक्षण के लिए किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है ? यदि हां, तो धनराशि का उल्लेख किया जाए। ——————
5. सरकार से अनुरोध की गई शुद्ध धनराशि : ——————

दिनांक

स्थान — अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर

भाग—II

(सहायता-अनुदान समिति की सिफारिश)

आवेदन की जांच कर ली गई है और यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संगठन सहायता के लिए पात्र है तथा उसके पास आवेदित किए गए कार्यक्रम को आरम्भ करने की क्षमता है।

(सदस्य सचिव के हस्ताक्षर)

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
D-9876
Date 10.7.98

(24)

NIEPA DC
D09876

ANNEXURE-I

(To be submitted in duplicate)

(Area Intensive Programme For Educationally Backward Minorities)

APPLICATION FORM

PART-I

(To be filled by the applicant)

1. Name and address of Organisation/Society seeking Financial Assistance ______
2. Objects and activities (give brief history of the organisation/society) ______
3. Whether registered under Central or State WAKF Acts? If yes, Regn. No. (A copy of the registration certificate may be attached) ______
4. Whether the Organisation is getting any financial assistance for teaching of modern subjects from any other source if so, the amount may be mentioned. ______
5. Net amount requested from Govt ______

Date : ______

Place : ______

Signature of
President/Chairman/
Secretary.

PART-II

(RECOMMENDATION OF THE GRANT-IN-AID COMMITTEE)

The application has been examined and it is certified that the organisation is eligible for assistance and has the capability of taking up a programme applied for.

(Signature of the Member Secretary)

MGIPRRND—561 Deptt. of Edu./93—2000

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित 1993
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD 1993